

श्री गणेश जैन छात्रावास

(अतंगत- श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ, बीकानेर)
पद्मिनी मार्ग, राणा प्रताप नगर, सुन्दरवास, उदयपुर - 313001 (राज.)
E-Mail:- ganeshjainch@sadhumargi.com, Mobile.No- 6378449439

क्रमांक

सेवा में,

श्रीमान् संयोजक/गृहपति महोदय,
सादर जय जिनेन्द्र !

यहाँ अपनी
नवीनतम फोटो
अवश्य रूप से
चिपकायें।

आवेदक का विवरण

नाम : पिता का नाम :
जन्म दिनांक : आयु (वर्ष) :
स्थायी पता :
ग्राम/शहर : तहसील : जिला :
राज्य : पिनकोड :
मोबाईल नंबर छात्र : मोबाईल नंबर पिता :

धार्मिक मान्यता- स्थानकवासी ☐ साधुमार्गी ☐ तेरापंथ ☐ मन्दिरमार्गी ☐ दिगम्बर ☐ मैं है।
शैक्षणिक योग्यता

क्र.सं.	कक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक / प्रतिशत	विषय
1.				
2.				
3.				

मैंने आगे अध्ययन हेतु कक्षा विषय लेकर
.....(महाविद्यालय) में दिनांक से प्रवेश लिया है।

प्रतिज्ञा

मैं आपके छात्रावास में प्रवेश लेना चाहता हूँ। मैंने छात्रावास संबंधी सभी नियम पढ़ लिए हैं तथा शपथपूर्वक निवेदन करता हूँ कि प्रविष्ट कर लिए जाने पर छात्रावास के वर्तमान नियम तथा भविष्य में बनने वाले नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करूँगा। संस्था के किसी भी नियम का उल्लंघन या उद्दण्डता पूर्ण व्यवहार करने पर आप मुझे संस्था से तत्काल निष्कासित कर सकेंगे जो मुझे मान्य होगा। साथ ही सम्पत्ति के नुकसान पहुँचाने पर जो भी आर्थिक दण्ड दिया जाएगा उसका भुगतान करूँगा।

भवदीय

हस्ताक्षर आवेदक

आवेदन- रजिस्ट्रेशन शुल्क - 150/- रुपया

.....

पिता/अभिभावक की सहमति एवं प्रतिज्ञा

मेरा पुत्र/पौत्र श्री मेरी पूर्ण सहमति से आपके छात्रावास में प्रवेश लेना चाहता है। छात्रावास नियमावली की जानकारी मैंने पूर्ण रूप से कर ली है। छात्र छात्रावास के सभी नियमों का पूर्ण रूप से पालन करेगा तथा इसका चाल-चलन, व्यवहार संस्था के लिए शोभाजनक होगा। अतः आप इसे प्रवेश देने की कृपा करें। इसके भोजन एवं अन्य फीस चुकाने तथा शिक्षा व स्वास्थ्य लाभ खर्च की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है।

छात्र द्वारा कभी अनुशासनहीनता या नियमोल्लंघन की स्थिति बने तो आप तत्काल छात्रावास से निष्कासित कर देंगे तो मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। साथ ही सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने पर जो भी आर्थिक दण्ड दिया जाएगा उसका भी भुगतान करूंगा।

हस्ताक्षर

(पिता/अभिभावक)

स्थायी पता :

ग्राम/शहर : तहसील : जिला राज्य :

पिनकोड : मोबाईल नंबर :

गृह स्थान के स्थानीय जैन संघ अध्यक्ष/मंत्री द्वारा प्रमाणीकरण

मैं छात्र श्री पुत्र श्री के आचार/विचार से परिचित हूँ। छात्र की धार्मिक मान्यता स्थानकवासी /तेरापंथ / मूर्तिपूजक / दिगम्बर की है। इन्हें प्रवेश देने की अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर अध्यक्ष / मंत्री प्रय सील

नाम : मोबाईल नं.

पता :

श्री गणेश जैन छात्रावास में पूर्व में अध्ययनरत रहने का पूर्ण विवरण

- | | |
|---------------|-------|
| 1. सत्र | |
| 2. सत्र | |
| 3. सत्र | |

गृहपति की अनुशंसा

श्री का आवेदन पत्र मिला, पूर्व परीक्षाफल, आचरण एवं अन्य गतिविधियों, आचरण का अवलोकन किया गया। छात्र छात्रावास में प्रवेश पाने योग्य है/नहीं है।

गृहपति हस्ताक्षर

संयोजक की अनुमति

छात्र श्री को गृहपति जी की अनुशंसा एवं प्रबंध समिति के निर्णय के अनुसार प्रवेश दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है/नहीं दी जाती है।

दिनांक :

हस्ताक्षर संयोजक

छात्र संकल्प

वर्तमान सत्र में छात्रावास में निवासरत रहने के समय नियमित रूप से छात्रावास द्वारा आयोजित धार्मिक क्रिया कलाओं में भाग लेने /ज्ञानार्जन करने का संकल्प लेता हूँ।

ज्ञानार्जन समयावधि

हस्ताक्षर छात्र

नोट : आवेदनकर्ता निम्न प्रमाणपत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ आवश्यक रूप से संलग्न करें।

- | | |
|---|---|
| 1. गत उत्तीर्ण कक्षा का प्रमाण पत्र/अंक तालिका मय प्राप्तिक। | 2. स्कूल का चरित्र प्रमाण-पत्र। |
| 3. महाविद्यालय में प्रवेश सम्बंधी प्रमाण पत्र। | 4. पूर्व में यदि धार्मिक परीक्षा दी है तो उसका प्रमाण पत्र। |
| 5. पूर्व में यदि किसी छात्रावास में रहें तो वहां का चरित्र प्रमाण पत्र। | 6. आधार कार्ड। |
| 7. अभिभावक का आय प्रमाण पत्र। | 8. सह शैक्षणिक गतिविधियों संबंधित प्रमाण पत्र। |

शपथ पत्र

मैं पुत्र श्री
निवासी ने कक्षा
.. महाविद्यालय में

प्रवेश ले लिया है तथा मैं गणेश जैन छात्रावास में प्रवेश लेना चाहता हूँ।

मैं श्री गणेश जैन छात्रावास के सभी नियमों का पालन करूंगा एवं अनुशासन में रहूंगा। यदि मैं नियमों का पालन नहीं करूँ तथा किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता करूँ तो छात्रावास प्रबंधन तुरन्त बिना कोई कारण बताए मुझे छात्रावास से निष्कासित कर सकेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी। छात्रावास में प्रवेश के दौरान जमा कराये गए शुल्क को लौटाने के लिए उजर नहीं करूंगा।

स्थान :- उदयपुर

दिनांक :-

(हस्ताक्षर छात्र)

छात्र श्री के द्वारा छात्रावास के नियमों की पालना व छात्रावास शुल्क समय पर जमा कराने की जिम्मेदारी लेता हूँ। छात्र द्वारा कोई भी अनुशासनहीनता करने पर दी जाने वाली सजा पर कोई आपत्ति नहीं करने की सहमति देता हूँ। मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरी समस्त वार्षिक आय समस्त स्रोतों से रु (अंकों में)
.....(शब्दों में) हैं।

प्रमाणितकर्ता के हस्ताक्षर
(संघ अध्यक्ष/मंत्री/राजपत्रित अधिकारी)

हस्ताक्षर पिता/अभिभावक
नाम

अनुशासनात्मक मामलों के लिए नियम

1.	चेतावनी	1. बिना अनुमति के छुट्टी लेना 2. बिना अनुमति के छुट्टी विस्तार करना। 3. छात्रावास में पार्टी आदि का आयोजन करना। 4. किसी भी निन्दनीय कार्य में लिप्त होना। 5. दूसरों के अध्ययन कार्य में बाधा डालना। 6. वे सभी नियम जो छात्रावास प्रबंधन द्वारा समय-समय पर बनाए जाते हैं उनका उल्लंघन करना।
2.	माता-पिता को सूचित करना।	किसी भी गलती को दोहराना जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है।
3.	निष्कासन	कोई भी गलती की पुनरावृत्ति करने पर।

छात्र एवं अभिभावक घोषणा

हम यह घोषणा करते हैं कि उपरोक्त सभी नियम-विनियम हमने पढ़ लिए हैं तथा हम यह वादा करते हैं कि हम इनका पूर्णरूप से पालन करेंगे। नियमों के उल्लंघन पर जो ऊपर उल्लेखित है, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी और वह हर प्रकार से बाध्यकारी/अनिवार्य होगी।

दिनांक व स्थान

छात्र का नाम व हस्ताक्षर

माता-पिता का नाम व हस्ताक्षर

.....

.....

.....

छात्रावास के नियम

1. छात्रावास का द्वार रात्रि 10:30 बजे से सुबह 5:00 बजे तक बंद रहेगा। जो छात्र परिसर के बाहर जाते हैं और देरी से आते हैं उन्हें रजिस्टर में आने-जाने की प्रविष्टि (एण्ट्री) करनी होगी। देर से आने के कारणों का उल्लेख करना होगा।
 2. कोई भी छात्र किसी भी कारण-वश छुट्टी लेता है तो उसे निर्धारित प्रारूप में छात्रावास-प्रभारी को आवेदन प्रस्तुत करना होगा और छात्रावास प्रभारी से लिखित रूप से अनुमति प्राप्त करनी होगी। छुट्टी का कारण छात्रावास प्रभारी द्वारा छात्र के स्थानीय अभिभावक/माता/ पिता द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
 3. प्रत्येक छात्र को सामायिक एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रम में नियत समय पर निर्धारित/शालीन गणवेश में उपस्थित होना अनिवार्य है। छात्र प्रातःकालीन एवं सायंकालीन सामायिक में अपनी सुविधानुसार उपस्थिति दे सकते हैं। सामायिक कक्षा में अनुपस्थित रहने पर छात्र को रुपये 100/- प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना जमा कराना होगा।
 4. सभी छात्रों को छात्रावास में होने वाली बैठक, व्याख्यान समारोह आदि अन्य कार्यक्रमों में उपस्थित होना अनिवार्य है। सभी छात्रों को शालीन और सभ्य गणवेश में उपस्थित होना होगा।
 5. कमरा छोड़ने से पूर्व छात्र सभी लाईट-पखें नियमित बंद करें। सभी सीढ़ियों व मार्गों पर अवरोध व परिसर में भीड़ उत्पन्न न करें।
 6. छात्रावास व कमरों की सभी वस्तुओं (बिस्तर, कुर्सी-अलमारी, ट्यूबलाईट आदि) को छात्रों को सावधानी पूर्वक प्रयोग में लेना होगा तथा सुरक्षित रखना होगा। किसी भी कमरे की प्रत्येक वस्तु की जिम्मेदारी उस कमरे में रहने वाले प्रत्येक छात्र की होगी। छात्रावास छोड़ने से पूर्व छात्रावास प्रभारी को सभी वस्तुएं जमा करा कर पावती प्राप्त करनी होगी।
 7. अतिथि, मित्र या सम्बंधी (माता-पिता को छोड़कर) का छात्र के कमरे में प्रवेश वर्जित है। छात्र इनसे केवल स्वागत कक्षा में मिल सकते हैं।
 8. सभी प्रकार की वस्तुएं या सामान जो माता-पिता या अन्य किसी के द्वारा भेजी है वो कार्यालय में भेजनी होगी तथा डिलीवरी कार्यालय से ही प्राप्त करनी होगी।
 9. छात्रावास की चल-अचल किसी भी प्रकार की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने पर उसकी क्षति-पूर्ति छात्र द्वारा करनी होगी अन्यथा यह राशि उसकी जमानत राशि (सिक्योरिटी फंड) में से काट ली जाएगी।
 10. किसी भी प्रकार की सामूहिक पार्टी का आयोजन छात्रावास परिसर में मनाना सख्त रूप से वर्जित है। यदि कोई भी छात्र इन गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
 11. छात्रावास का पता (गणेश जैन छात्रावास) किसी भी प्रकार से उपयोग में लेना वर्जित है। इसका कहीं भी दस्तावेजी सबूत या पत्र-व्यवहार में लिए उपयोग वर्जित है।
 12. छात्रावास में सभी छात्रों को उचित अनुशासन में रहना होगा तथा सभी को सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना होगा। छात्र किसी भी प्रकार से अपने कमरे के सहपाठी तथा छात्रावास में रहने वाले अन्य छात्रों को परेशान कर उसकी पढ़ाई में खलल डालकर छात्रावास में अशांति उत्पन्न नहीं करेंगे।
 13. छात्रावास की भोजनशाला में प्रातःकालीन नाश्ता, दोपहर भोजन, सायंकालीन भोजन का समय इस प्रकार रहेगा -
(क) प्रातः कालीन नाश्ता सुबह - 7:30 बजे से 8:30 बजे तक
(ख) दोपहर का भोजन - 11:00 बजे से 1:00 बजे तक
(ग) सायंकालीन भोजन - 5:00 बजे से सूर्यास्त पूर्व तक
जो छात्र ट्यूशन / कोचिंग पढ़ने जाते हैं वे टिफिन सुविधा के लिए छात्रावास प्रभारी से मिलें। किसी भी परिस्थिति में सूर्यास्त के बाद भोजन की आपूर्ति वर्जित है।
 14. रसोई में किसी भी छात्र का प्रवेश पूर्णतया वर्जित है। यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो उसे निर्धारित जुर्माना राशि भरनी होगी।
 15. छात्र को नाश्ते व भोजन का उपभोग छात्रावास की भोजनशाला में ही करना अनिवार्य है। भोजनशाला के बाहर नाश्ता/ भोजन लेकर जाना पूर्णतः प्रति बन्धित है।
 16. छात्रावास में रहने की अवधि प्रतिवर्ष 1 अगस्त से 31 मई (10 माह) के लिए रहेगी। 31 मई को सभी छात्रों को आवश्यक रूप से छात्रावास खाली करना होगा।
 17. शुल्क निर्धारित समय तक जमा कराना अनिवार्य होगा। शुल्क समय पर जमा नहीं कराने की स्थिति में 100/- प्रतिदिन विलम्ब शुल्क वसूल किया जाएगा।
 18. मैं छात्रावास के नियमों की पालना, प्रतिदिन सामायिक/प्रार्थना में भाग लूंगा। नियमों की अवहेलना पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।
- मैंने सभी नियमों उपनियमों को समझ लिया है। मैं सभी, नियमों उपनियमों की कठोरता पूर्वक पालना करने का वचन देता हूँ।

हस्ताक्षर छात्र

.....

हस्ताक्षर माता-पिता

.....

शुल्क विवरण

वार्षिक शुल्क विवरण	एकल छात्र कक्षा	त्रिपल छात्र कक्षा
सुरक्षा/अमानत राशि	7000/-	7000/-
भोजन व सुविधाएं शुल्क	65000/-	55000/-
योग	72000/-	62000/-

शुल्क एक साथ प्रवेश के समय अथवा निम्नानुसार किश्तों में जमा कराया जा सकता है। बीच में छात्रावास छोड़ने पर फीस लौटाई नहीं जाएगी।

सम्पूर्ण वार्षिक शुल्क एक साथ जमा करवाने पर शुल्क में 5000/- रुपये की छुट दी जावेगी। यह शुल्क अगस्त से मई तक (10 माह) के लिए है।

विवरण	प्रथम किश्त प्रवेश के समय		द्वितीय किश्त	कुल राशि
	सुरक्षा/अमानत राशि	शुल्क	जनवरी माह (शुल्क)	
एकल छात्र कक्षा	7000/-	40000/-	25000/-	72000/-
त्रिपल छात्र कक्षा	7000/-	30000/-	25000/-	62000/-

अल्प अवधि हेतु प्रवेश - न्यूनतम तीन माह की अवधि

सुरक्षा/अमानत राशि	एकल छात्र कक्षा	त्रिपल छात्र कक्षा
7000/-	21000/-	18000/-

शुल्क निर्धारित समय तक जमा कराना अनिवार्य होगा। शुल्क समय पर जमा नहीं कराने की स्थिति में 100/- प्रतिदिन विलम्ब शुल्क वसूल किया जाएगा।